

अपील क्रमांक 190/बो.प्र./नि.स./2023  
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)  
जल संसाधन विभाग,  
शिवनाथ भवन, सेक्टर-19,  
अटल नगर, नवा रायपुर

दिनांक /08/2023

अपील प्रकरण क्रमांक 190/बो.प्र./नि.स./2023

अपीलार्थी  
Meena Pandey,  
No. 229&230, First Floor,  
Chouhan Plaza, Shastri Nagar,  
Bhilai (C.G.), Pin-490023,  
Cell No. 9770311808

उत्तरवादी  
श्री ए.के. साय,  
जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख  
अभियंता, जल संसाधन विभाग,  
नवा रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 29.08.2023

1. आवेदिका/अपीलार्थी मीना पाण्डेय टेलीफोन में उपस्थित।
2. जनसूचना अधिकारी श्री ए.के. साय उपस्थित।
3. प्रकरण संक्षेप:
  - (i) आवेदिका/अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 5 बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त करने हेतु दिनांक 08.05.2023 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो इस कार्यालय का आवक क्रमांक 479 दिनांक 11.05.2023 को प्राप्त हुआ।
  - (ii) जनसूचना अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत पत्र में उल्लेख किया गया है कि आवेदिका का आवेदन पत्र दिनांक 11.05.2023 को प्राप्त हुआ। वांछित जानकारी हेतु नस्ती तकनीकी कक्ष को दिनांक 16.05.2023 को प्रस्तुत किया गया। नस्ती कक्ष से दिनांक 17.05.2023 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि बिन्दु क्र. 1 की जानकारी 16 पृष्ठों की है, जिसका जानकारी शुल्क (16X2=32/-) मंगाने एवं अलग-अलग बिन्दुओं की जानकारी के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्र. 4318, दिनांक 18.05.2023 आवेदिका/अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से पत्र प्रेषित किया गया।
  - (iii) आवेदिका/अपीलार्थी ने उल्लेख किया गया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा सही जानकारी नहीं दिये जाने के कारण आवेदिका द्वारा असंतुष्ट होकर दिनांक 29.07.2023 द्वारा अपील प्रस्तुत किया गया। जो इस कार्यालय में दिनांक 10.08.2023 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त हुआ। प्रकरण की सुनवाई दिनांक 24.08.2023 को समय दोपहर 12.30 बजे आवेदिका के अनुरोध पर Telephone meeting के द्वारा निर्धारित किया गया, किन्तु सुनवाई में अधोहस्ताक्षरकर्ता बैठक में शामिल होने हेतु मुख्यालय से बाहर रहने के कारण सुनवाई स्थगित करते हुए प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 29.08.2023 को समय दोपहर 12.30 बजे आवेदिका की सहमति से निर्धारित किया गया।
4. सुनवाई दिनांक 29.08.2023 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आवेदिका/अपीलार्थी से दूरभाष पर हुई आवेदिका के असंतुष्टि का निवारण करते हुए अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत एक आवेदन पर एक बिन्दु की जानकारी दिया जा सकता है तथा आपको अलग-अलग बिन्दुओं की

जानकारी हेतु अलग-अलग आवेदन देकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आवेदिका/अपीलार्थी को दी गई।

5. जनसूचना अधिकारी द्वारा आज दिनांक 29.08.2023 को सुनवाई में उपस्थित होकर बताया गया कि आवेदिका/अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 11.05.2023 को प्राप्त हुआ। जनसूचना अधिकारी ने कार्यालयीन पत्र क्र. 4318, दिनांक 18.05.2023 द्वारा स्थापना शाखा से प्राप्त वांछित जानकारी कुल 16 पृष्ठों में समाहित है। जिसका जानकारी शुल्क (16X2 = 32/-) (बत्तीस रु. मात्र) जमा कर जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदक को पंजीकृत डाक से पत्र प्रेषित किया गया। आवेदिका/अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.06.2023 को प्रदत्त सूचना शुल्क रु. 40.00 (चालीस रुपये मात्र) जमा करने पर उन्हें कार्यालयीन पत्र क्रमांक 5065, दिनांक 06.06.2023 द्वारा वांछित जानकारी कुल 16 पृष्ठों की सत्यापित कर प्रदाय किया गया।

6. (i) जनसूचना अधिकारी ने नियत अवधि से पूर्व आवेदिका/अपीलार्थी को विस्तृत रूप से सूचित किया था।  
(ii) आवेदक/अपीलार्थी को यह स्पष्ट किया गया था कि संबंधित कक्ष से प्राप्त टीप अनुसार कुल 16 पृष्ठों की है, जिसका जानकारी शुल्क (16X2=32/-) जमा करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्र. 4318, दिनांक 18.05.2023 आवेदिका/अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से पत्र प्रेषित किया गया। आवेदिका/अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.06.2023 को प्रदत्त सूचना शुल्क रु. 40.00 (चालीस रुपये मात्र) जमा करने पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 5065, दिनांक 06.06.2023 द्वारा वांछित जानकारी कुल 16 पृष्ठों की सत्यापित कर प्रदाय किया गया।

(iii) आवेदिका/अपीलार्थी ने जानकारी सही नहीं देने से असंतुष्ट होकर दिनांक 29.07.2023 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत की जो दिनांक 10.08.2023 को प्राप्त हुई। अपील प्रकरण की सुनवाई दिनांक 24.08.2023 को निर्धारित की गई, किन्तु सुनवाई में अधोहस्ताक्षरकर्ता के बैठक में शामिल होने हेतु मुख्यालय से बाहर रहने के कारण सुनवाई स्थगित करते हुए प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 29.08.2023 को समय दोपहर 12.30 बजे निर्धारित किया गया। जिसमें आवेदिका/अपीलार्थी टेलीफोन से चर्चा में उपस्थित हुई।

9. जनसूचना अधिकारी ने नियत समय सूचना, निर्धारित अवधि में दी थी। जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदिका/अपीलार्थी को संबंधित स्थापना कक्ष से प्राप्त टीप अनुसार वांछित जानकारी को पंजीकृत डाक से प्रेषित की गई। प्रकरण की सुनवाई में दोनों पक्षों का तर्क सुना गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार निर्णय लिया गया कि जनसूचना अधिकारी ने नियमानुसार निर्धारित अवधि में कार्य किया है। अतः अपील निराकृत।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

**स्वी -**

(सी.पी. जैन)

प्रथम अपीलीय अधिकारी,  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग,  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रं./190/बो.प्र./नि.स./2023/ 7983

रायपुर, दिनांक 29/08/2023

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के वेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री ए.के. साय, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. Meena Pandey, No. 229-230, First Floor, Chouhan Plaza, Shastri Nagar, Bhilai (C.G.), Pin-490023 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(सी.पी. जैन)

प्रथम अपीलीय अधिकारी,  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग,  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)